



अतः संबंधित रैयत को दिनांक
को पूर्वाह्न 11:00 बजे सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित
करें अन्यथा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के
तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी ।


अंचल अधिकारी,
बानो।


20.7.21

संबंधित रैयत को पुनः सूचना देकर दिनांक 27.7.2021
को पूर्वाह्न 11.00 बजे सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें अन्यथा झारखण्ड
भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त
जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी ।


अंचल अधिकारी,
बानो।

27/7/21

अभिलेख उपस्थापित नोटिस नामिका प्रतिवेदन प्राप्त
है जो अभिलेख के साथ अलग है। राजस्व एवं निरीक्षण
के जोच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि का किसान जंगल
आदी एवं मझौला जंगल है। सरकार के सचिव राजस्व
निबंधन भूमि सुधार विभाग झारखण्ड साफांक 5/रा.भू
विधि 156/2016 - - - 6144/रा.रांची दिनांक 21.12.2017
के उल्लिखित निर्देश के आलोक में संदेहास्पद जमाबंदी
रद्द की जानी है।


अंचल अधिकारी,
बानो।